


15/10

31-10-19 पत्रावली पेश हुई। वकील वारीगण व वकील
अनुपस्थित हैं। आवामें लगावाई गई। बार-बार
आवामें लगावने के बावजूद वारीगण व वकील
वारीगण उपस्थित नहीं आए। अतः वारीगणों
का वाद अदम टयरी व अदम पैन्वी में खारिज
किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया
गया। पत्रावली नम्बर से काम लेकर दारिखत
दफ्तरे हैं।


उप खण्ड अधिकारी
द्वारा लेद

